दैनिक भारत कि
तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com
Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-२ ला | अंक-७४ वा | बुधवार १७ दिसंबर २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रुपये | पन्ने - ४

विशेष संपादकीय

नीतीश कुमार की शर्मनाक हरकत

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कल की हरकत ने पूरे राज्य और देश को शर्मसार कर दिया। पटना में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरण के एक सरकारी कार्यक्रम में, जब एक मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन मंच पर अपना पत्र लेने आईं, तो नीतीश कुमार ने न केवल उनका हिजाब (नकाब) खींचा, बल्कि इसे सार्वजनिक रूप से अपमानजनक तरीके से किया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि उन्होंने झुककर महिला के चेहरे से नकाब नीचे खींचा, जबकि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। यह कोई संयोग या गलती नहीं, बल्कि एक सोची-समझी असंवेदनशीलता थी, जो महिलाओं की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है।

यह घटना न केवल व्यक्तिगत अपमान है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों का खुला उल्लंघन है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद २५ धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हिजाब या नकाब किसी मुस्लिम महिला की आस्था, ेिवर्शीीं और व्यक्तिगत चुनाव का प्रतीक है। मुख्यमंत्री जैसे उच्च पद पर बैठा व्यक्ति सार्वजनिक मंच पर किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार करे, तो यह सत्ता के दुरुपयोग का घोर उदाहरण है। यदि कोई साधारण नागरिक ऐसा करता, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा ७४ (महिला की लज्जा भंग करने का प्रयास) के तहत मुकदमा दर्ज होता। लेकिन नीतीश कुमार को लगता है कि सत्ता उन्हें कानून से ऊपर बना देती है?

काजी मखदूम
मो.नं.९२७०५७४४४४

यह पहली बार नहीं जब नीतीश कुमार की हरकतें सार्वजनिक रूप से शर्मनाक साबित हुई हैं। पहले भी वे मंच पर अजीब व्यवहार कर चुके हैं - कभी राष्ट्रगान के दौरान हंसते-बातें करते, कभी महिलाओं के साथ असंयमित व्यवहार। अब यह हिजाब कांड उनकी मानसिक स्थिति और सत्ता के मोह पर गंभीर सवाल उठाता है। विपक्षी दलों - आरजेडी और कांग्रेस - ने इसे घृणित और शर्मनाक बताकर सही कहा है कि इससे बिहार में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। यहां तक कि जेडीयू के कुछ नेता इसे पितृसुलभ बता कर बचाव कर रहे हैं, जो और भी हास्यास्पद है। पिता जैसा व्यवहार नकाब खींचकर नहीं, सम्मान देकर किया जाता है!

नीतीश जी, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, न कि किसी व्यक्तिगत साम्राज्य के राजा। राजधर्म का मतलब है सभी धर्मों, सभी समुदायों का सम्मान। मुस्लिम महिलाओं की आस्था पर हमला करके आप न केवल एक व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं, बल्कि पूरे बिहार की बहुलतावादी संस्कृति को कलंकित कर रहे हैं। आपने महिलाओं के सशक्तिकरण की कितनी बातें की हैं, लेकिन यह हरकत दिखाती है कि आपकी सोच कितनी संकीर्ण और पितृसत्तात्मक है। यदि आपमें जरा भी नैतिकता बची है, तो सार्वजनिक रूप से उस महिला से बिना शर्त माफी मांगिए। और यदि नहीं, तो इस्तीफा दीजिए - क्योंकि ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को शोभा नहीं देता।

यह घटना हमें याद दिलाती है कि सत्ता अस्थायी है, लेकिन सम्मान और संविधान अमर हैं। बिहार की जनता अब जाग चुकी है। नीतीश कुमार जैसे नेताओं की ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। राजधर्म निभाइए, वरना इतिहास आपको माफ नहीं करेगा।

कोकाटे कि किस्मत मे कांटे

मंत्रिपद खतरे में: सदनिका घोटाले में दो साल की सजा बरकरार, अटक की लटकती तलवार।

नासिक: इद्रिस शेख कि रिपोर्ट

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के वरिष्ठ नेता माणिकराव कोकाटे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। १९९५ के पुराने सदनिका घोटाले मामले में नासिक जिला सत्र न्यायालय ने निचली अदालत की ओर से सुनाई गई दो साल की कैद की सजा को बरकरार रखा है। इससे उनकी विधायक सदस्यता और मंत्री पद दोनों पर संकट मंडरा रहा है। यह मामला ३० साल पुराना है। आरोप है कि माणिकराव कोकाटे और उनके भाई विजय कोकाटे ने बनावट दस्तावेजों का इस्तेमाल कर मुख्यमंत्री कोटे की १०% आरक्षित सदनिकाएं (आवास) हड़प लीं। अल्प आय वर्ग (एथड) दिखाकर कम कीमत पर फ्लैट लिए गए, जबकि उनकी आय इसके लिए योग्य नहीं थी। इससे सरकार को धोखा दिया गया।

निचली अदालत (प्रथम वर्ग न्यायालय) ने दोनों भाइयों को दो साल की सजा और प्रत्येक पर ५० हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी (कुछ रिपोर्ट्स में १० हजार रुपये बताया गया है)। अपील पर सत्र न्यायालय ने पहले सजा पर स्थगिति दी थी, लेकिन अब अपील खारिज कर सजा कायम रखी है।

कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि कोकाटे बंधुओं ने जो सदनिकाएं लीं, वे पात्रता मानदंडों पर खरी नहीं उतरतीं। इसमें स्पष्ट रूप से सरकार के साथ धोखाधड़ी हुई है।

यह शिकायत दिवंगत पूर्व मंत्री तुकाराम दिघोळे ने दर्ज कराई थी। उनके निधन के बाद उनकी बेटी डॉ. अंजली दिघोळे-राठोड ने हस्तक्षेप याचिका दाखल की। उनके वकील डॉ. आशुतोष राठोड ने कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा। डॉ. राठोड ने बताया कि कोकाटे को जमानत न मिले, इसके लिए हाईकोर्ट में दस्तावेज पेश कर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। लोकप्रतिनिधित्व कानून (Representation of the People -ct) के तहत दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर विधायक की सदस्यता तुरंत रद्द हो जाती है। इससे मंत्री पद भी अपने आप चला जाता है। ऐसे में माणिकराव कोकाटे की राजनीतिक ज़रीळूरी पर बड़ा संकट है। नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन अब कानूनी लड़ाई और कठिन हो गई है।

इस फैसले से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है। महायुती गठबंधन में अजित पवार गुट को झटका लगा है। विपक्षी दल इसे बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। कोकाटे पहले भी कई विवादों में घिर चुके हैं - जैसे सदन में रमी खेलना, जिसके कारण उनका कृषि मंत्रालय छिन गया था और खेल मंत्रालय मिला।

अब सभी की नजरें हाईकोर्ट पर टिकी हैं, जहां आगे की सुनवाई हो सकती है। अगर सजा पर स्थगिति नहीं मिली, तो अटक भी हो सकती है। यह मामला महाराष्ट्र की सियासत को और गरमा सकता है।

बाळराजे पवार की गिरफ्तारी से गेवराई तालुका में हड़कंप, पुलिस स्टेशन और न्यायालय में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़

काजी अमान / गेवराई

नगर परिषद की सामान्य चुनाव के दिन गेवराई शहर में पवार-पंडित गुटों के बीच हुई मारपीट में धाराएं बढ़ने के कारण भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता बाळराजे पवार सोमवार रात को पुलिस की सूचना पर पुलिस स्टेशन में हाजिर हुए थे। जैसे ही वे हाजिर हुए, गेवराई पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी कर ली। राजनीति में स्वच्छ छवि, कार्यकर्ताओं से गहरा रिश्ता और जनता से सीधा संवाद रखने वाले नेता के रूप में पहचाने जाने वाले बाळराजे पवार खुद गेवराई पुलिस स्टेशन में हाजिर हुए थे। कानून पर विश्वास रखते हुए पुलिस के सामने हाजिर होने का फैसला लेने से उनके समर्थकों में भावुक प्रतिक्रिया देखी गई। मंगलवार, १६ दिसंबर २०२५ को गेवराई न्यायालय ने उन्हें एक दिन की पुलिस कस्टडी सुनाई है।

गेवराई पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के बाद नियम अनुसार बाळराजे पवार पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। मंगलवार, १६ दिसंबर को उन्हें गेवराई न्यायालय में पेश किया गया, जहां पुलिस ने दो दिन की पीसीआर (पुलिस कस्टडी रिमांड) मांगी, लेकिन न्यायालय ने केवल एक दिन की पीसीआर दी है। ▶▶पान ४ पे

कम छात्र संख्या वाली जिला परिषद स्कूलों में अब संविदा शिक्षकों की नियुक्ति

७० वर्ष तक के सेवानिवृत्त शिक्षकों को २० हजार रुपये मासिक मानदेय पर होगी नियुक्ति

बीड: जिला परिषद की जिन स्कूलों में छात्र संख्या १० या २० से कम है, उन स्कूलों में अब संविदा शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। यह कार्रवाई १५ मार्च २०२४ के शासन निर्णय के अनुसार की जाएगी। ७० वर्ष तक की आयु वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों की इन स्कूलों में नियुक्ति की जाएगी और उन्हें प्रति माह २० हजार रुपये का मानदेय दिया जाएगा।

२०२३-२४ शैक्षणिक सत्र में राज्य की जिला परिषद की १८,६०० स्कूलों की छात्र संख्या १ से २० तक थी। लेकिन २०२४-२५ शैक्षणिक सत्र की पद स्वीकृति के अनुसार २० से कम छात्र संख्या वाली स्कूलों की संख्या २५ हजार तक पहुंच गई है। अब १५ मार्च २०२४ की पद स्वीकृति संबंधी शासन निर्णय के अनुसार, १० से कम छात्र संख्या वाली स्कूल में एक नियमित शिक्षक तथा २० से कम छात्र संख्या वाली स्कूलों में दो नियमित शिक्षक अपेक्षित हैं। हालांकि, अतिरिक्त शिक्षकों का समायोजन करने के बाद भी यदि नियमित शिक्षक कम पड़ते हैं, तो उन स्थानों पर संविदा शिक्षक नियुक्त किया जाएगा।

इस बीच, वर्तमान में जिला परिषद स्कूलों में लगभग चार हजार शिक्षक पद रिक्त हैं। उन स्थानों पर भी अतिरिक्त शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। डी.एड., बी.एड. किए हुए युवाओं की बजाय अब संविदा शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त शिक्षकों की ही नियुक्ति करने का शासन का आदेश है। ▶▶पान ४ पे

दोषियों पर कार्रवाई करें, वरना दिल्ली जाम कर देंगे: मनोज जरांगे का इशारा, शौर्य के परिवार से मिलकर किया सांत्वना

दिल्ली: संवाददाता

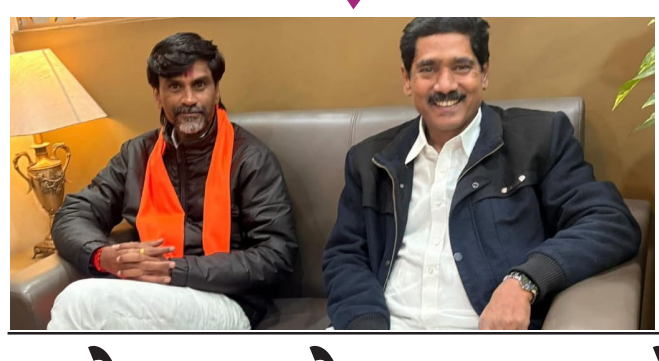

मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटील इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं। वे वहां आत्महत्या करने वाले छात्र शौर्य पाटील के माता-पिता से मिले। इस मामले में उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि शौर्य मराठाओं का बच्चा है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही क्या? केंद्र की भाजपा सरकार को उन्होंने जमकर घेरा।

दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले शौर्य पाटील ने दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल की प्रिंसिपल और शिक्षिकाओं के जुल्म से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। उसने मेट्रो स्टेशन से नीचे सड़क पर छलांग लगा दी थी। शौर्य नई दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में अपने परिवार के साथ रहता था। मनोज जरांगे ने आज उसके माता-पिता से मुलाकात की। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की।

हम बच्चे का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे - जरांगे

उन्होंने कहा कि सरकार उसे आधार नहीं दे रही। उसे बल नहीं मिल रहा। यह हमें स्वीकार नहीं। इसलिए हम सिर्फ कहने के लिए आए हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। दिल्ली के गृह मंत्री को भी संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार करना ही होगा। वरना बाद में यह कहकर पीछे न हटें कि आंदोलन हाथ से बाहर ▶▶पान ४ पे

नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा का झूठा एजेंडा बेनकाब, मोदीजी को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए: हर्षवर्धन सपकाळ

जमीर काझी
मुंबई:

नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत द्वारा दिया गया फैसला भारतीय जनता पार्टी के झूठेपन का पर्दाफाश करने वाला है। केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए रचा गया एक सुनियोजित षड्यंत्र साबित हुआ है। ईडी के माध्यम से विपक्षी दलों की आवाज दबाने का भाजपा का एजेंडा है। अदालत के फैसले से 'दूध का दूध और पानी का पानी' हो गया है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को गांधी परिवार से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए - यह मांग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने मंगलवार को की।

पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड कंपनी स्वतंत्रता आंदोलन के समय ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ते हुए एक एजेंडा चलाने के लिए देशप्रेम से स्थापित की गई संस्था है। इस संस्था की स्थापना के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने खुद पैसे दिए थे। यह संस्था एक समाचार पत्र चलाती ▶▶पान ४ पे

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

मोकाट पशु और आवारा कुत्तों का आतंक; बीड में नागरिकों का गुस्सा चरम पर

बीड: शहरवासियों के लिए इन दिनों मोकाट (आवारा) पशु और भटके कुत्रों का बढ़ता सुलसुलाट एक बड़ी सिरदर्दी बन गया है। खासकर जालना रोड पर पशुओं के बड़े-बड़े झुंड खड़े रहने से दुर्घटना का खतरा काफी बढ़ गया है। प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ नागरिकों का गुस्सा अब चरम पर पहुंच गया है।

दुर्घटना का बड़ा खतरा

जालना रोड के साथ-साथ शहर के प्रमुख रास्तों जैसे सुभाष रोड, माली चौक और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा के पास मोकाट पशुओं का मुक्त संचार होता है। ये मूक प्राणी अचानक सड़क पर आ जाते हैं, जिससे वाहन चालकों को लगातार दुर्घटना का खतरा बना रहता है। बीड शहर में इससे कई छोटे-बड़े हादसे हो चुके हैं, फिर भी संबंधित विभाग केवल तमाशबीन की भूमिका निभा रहा है - ऐसा नागरिकों का कहना है। इन मोकाट पशुओं के मालिक सिर्फ 'मलिदा खाते' हैं और जानवरों को सड़क पर छोड़ देते हैं। सड़क पर जानवर छोड़ने वाले इन मालिकों पर नगरपालिका को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए - यह गुस्से भरी प्रतिक्रिया एक नागरिक ने व्यक्त की।

आवारा कुत्रों से काटने की घटनाएं बढ़ीं

मोकाट पशुओं के साथ-साथ भटके कुत्रों का उपद्रव भी बढ़ गया है। शहर में कई जगहों पर कुत्रे छोटे बच्चों तथा बुजुर्गों को काट रहे हैं, ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं। इससे नागरिकों में डर का माहौल फैल गया है।

नगरपालिका 'मलिदा खाने में व्यस्त'?

नागरिकों की इस गंभीर समस्या की ओर नगरपालिका पूरी तरह उदासीन है - ऐसा आरोप नागरिक लगा रहे हैं। मोकाट पशुओं को पाउंड में बंद करना या उनके मालिकों पर जुर्माना/कानूनी कार्रवाई करना जरूरी होने के बावजूद, नगरपालिका केवल कागजी घोड़े दौड़ाने या 'मलिदा खाने' में व्यस्त है - ऐसा गुस्सा नागरिकों ने जाहिर किया है।

नागरिकों का अंतिम चेतावनी

जनता का धैर्य अब जवाब दे रहा है और उन्होंने नगरपालिका प्रशासन को सीधी अंतिम चेतावनी दी है। अगर नगरपालिका प्रशासन ने जल्द से जल्द इन मोकाट पशुओं और कुत्रों का बंदोबस्त नहीं किया, तो नागरिक खुद जानवर पकड़कर सीधे नगरपालिका कार्यालय में छोड़ देंगे - ऐसा गंभीर इशारा शहरवासियों ने दिया है।

आचारसंहिता लागू होते ही मुंबई महानगरपालिकेने हटाए दो हजार से अधिक अनधिकृत होर्डिंग

विशेष प्रतिनिधि
मुंबई: जमीर काजी

राज्य की २९ महानगरपालिकाओं के चुनाव के लिए आचारसंहिता लागू होते ही प्रशासन हरकत में आ गया है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने आचारसंहिता लागू होने के बाद मात्र २३ घंटों में शहर और उपनगरों के कार्यक्षेत्र में नियमों के विरुद्ध तथा अनधिकृत तरीके से लगाए गए कुल २,१०३ राजनीतिक विज्ञापन बोर्ड, बैनर, कियोस्क, स्टिकर, होर्डिंग, चिह्न, झंडे, फ्लेक्स तथा दीवारों पर लिखी राजनीतिक विज्ञापनें एवं इससे संबंधित सामग्री हटा दी।

महानगरपालिका के अनुज्ञप्ति विभाग द्वारा इस संबंध में युद्धस्तर पर कार्रवाई शुरू की गई है। मंगलवार दोपहर तीन बजे तक २,१०३ फ्लेक्स/होर्डिंग हटा दिए गए। आयुक्त तथा चुनाव अधिकारी भूषण गगराणी के निर्देश पर अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी के नेतृत्व में तथा उप आयुक्त (विशेष) चंदा जाधव के मार्गदर्शन में बृहन्मुंबई कार्यक्षेत्र में यह अभियान शुरू किया गया है।

अतिरिक्त आयुक्त (शहर) जोशी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और समानता बनाए रखने के लिए आचारसंहिता का कड़ाई से पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार के अनुचित प्रभाव को रोकने के लिए प्रशासन ने समय पर निवारक उपाय लागू किए हैं और सभी से नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। आचारसंहिता लागू होने के बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्र में कहीं भी राजनीतिक स्वरूप के विज्ञापन बोर्ड, होर्डिंग या फ्लेक्स न रहें, इसके लिए कार्रवाई शुरू की गई है। आचारसंहिता का उल्लंघन न हो, इसकी सतर्कता बरतते हुए यह कार्रवाई तत्काल की जा रही है और आगे भी इसमें निरंतरता बनी रहेगी।

उप आयुक्त (विशेष) चंदा जाधव ने कहा कि महानगर के प्रमुख चौक, मुख्य सड़कें, सार्वजनिक स्थान तथा सरकारी इमारतों के परिसर में लगाए गए अनधिकृत एवं नियमविरुद्ध विज्ञापन बोर्ड, फ्लेक्स आदि को हटाने का अभियान युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई करते समय संबंधित राजनीतिक दलों, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से महानगरपालिका को सहयोग करने तथा आगे किसी भी रूप में आचारसंहिता का उल्लंघन करने वाली सामग्री न लगाने की अपील प्रशासन ने की है।

शेतकरी अब व्यापारी बनेंगे: महाराष्ट्र में देश का पहला राष्ट्रीय कांदा भवन

नासिक: भारतीय प्याज का नियंत्रण किसानों के हाथ में लाकर प्याज की खेती को सुरक्षित और स्थायी लाभ वाली बनाने के लिए दुनिया का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय कांदा भवन महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। इसकी घोषणा महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटना के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे ने की है।

राष्ट्रीय कांदा भवन सिन्नर तालुका के जायगाव में शुरू में दो एकड़ क्षेत्र पर बनाया जाएगा। भविष्य में जरूरत के अनुसार इसका विस्तार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण के लिए करीब पांच करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है, जो किसानों की दान राशि से जुटाई जाएगी। कांदा उत्पादक किसानों के सहयोग से यह भवन बनाया जाएगा। इससे अब तक अनिश्चित और कर्ज पर चलने वाली प्याज की खेती का स्वरूप पूरी तरह बदलने का इरादा है।

भारत दुनिया में सबसे ज्यादा प्याज उत्पादन करने वाला देश है। अब तक प्याज की आयात, निर्यात, निर्यात प्रतिबंध, नाफेड और एनसीसीएफ का बफर स्टॉक तथा दर नियंत्रण जैसे फैसले किसानों को विश्वास में लिए बिना लिए जाते थे। कांदा भवन बनने के बाद ये फैसले किसानों के नेतृत्व में लिए जाएंगे - ऐसा विश्वास दिघोळे ने जताया। इसके तहत आधुनिक सुविधा केंद्र बनाया जाएगा, जिसमें प्याज जांच प्रयोगशाला भी शामिल होगी।

इस माध्यम से प्याज बीज अनुसंधान, गुणवत्ता नियंत्रण, पौधों का पालन-पोषण, खेती के बाद खाद और दवाओं का वैज्ञानिक नियोजन, उत्पादन लागत कम रखने के लिए सामूहिक खरीदी, फसलों की निगरानी - ये सभी काम कम खर्च में और सामूहिक तरीके से किए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण यह कि बाजार समितियों में लेन-देन को पारदर्शी बनाकर किसी भी किसान की आर्थिक लूट या धोखाधड़ी नहीं होने दी जाएगी। देशी और विदेशी ग्राहकों तक सीधी बिक्री व्यवस्था बनाई जाएगी। इससे किसानों को स्थायी लाभ मिलेगा और उपभोक्ताओं को उचित दर पर प्याज उपलब्ध होगा। सीधी बिक्री श्रृंखला से दलालों की भूमिका कम होगी और उत्पादन से मिलने वाला लाभ सीधे किसानों तक पहुंचेगा। नीतिगत फैसलों में भागीदारी होगी। इस प्रोजेक्ट से प्याज की खेती का नया अध्याय शुरू होगा।

कर्ज पर चलने वाली और अनिश्चित इस खेती को विश्वसनीय, लाभदायक तथा भविष्य सुरक्षित करने वाली खेती बनाया जाएगा - ऐसा दिघोळे ने कहा। किसानों के हितों के खिलाफ नीतियां बनीं तो कांदा भवन संवाद के साथ-साथ संघर्ष की भूमिका भी निभाएगा - ऐसा संकेत इस मौके पर दिया गया।

पान १ वरून

बाळराजे पवार की गिरफ्तारी से गेवराई तालुका ...

इस घटना से गेवराई शहर सहित पूरे तालुका में राजनीतिक माहौल और गरमा गया है। नगर परिषद चुनाव के मतदान के दिन युवा नेता बाळराजे पवार गुट और पूर्व विधायक अमरसिंह पंडित गुट आमने-सामने आए थे। इस दौरान हुए हंगामे से स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इसी बीच, पूर्व विधायक अमरसिंह पंडित के निजी सहायक अमृत डावकर पर हुई मारपीट की शिकायत पर मामले में ३३३ धारा सहित एक अतिरिक्त धारा बढ़ाई गई। सोमवार को पुलिस ने यह गिरफ्तारी की, जिसमें उनके साथ अन्य चार लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार को सभी आरोपियों को गेवराई न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान न्यायालय ने उन्हें एक दिन की पुलिस कस्टडी सुनाई है।

बाळराजे पवार की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है, लेकिन सच्चाई जल्द सामने आएगी। विकास की राजनीति करने वाले, युवाओं का नेतृत्व करने वाले और जनता के मुद्दों के लिए सड़क पर उतरकर लड़ने वाले नेता के रूप में जाने जाने वाले बाळराजे पवार पर हुई इस कार्रवाई को कई लोग राजनीतिक घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में देख रहे हैं। इसी बीच, बाळराजे को गिरफ्तारी की खबर गेवराई शहर सहित तालुका में आग की तरह फैल गई और कार्यकर्ता तथा उनके प्रशंसकों ने पुलिस स्टेशन के सामने भारी भीड़ जमा की। इस समय बीड जिला परिषद के पूर्व सभापति युधाजित पंडित भी पुलिस स्टेशन में पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए शहर में पुलिस बंदोबस्त बढ़ाया गया है। बाळराजे पवार सहित अन्य चार लोगों को गेवराई न्यायालय में पेश करने लाए जाने पर पूर्व विधायक लक्ष्मणराव पवार, पूर्व सभापति युधाजित पंडित सहित भाजपा कार्यकर्ताओं और पूर्व राज्यमंत्री बदामराव पंडित तथा बाळराजे पवार समर्थकों ने न्यायालय परिसर में बड़ी भीड़ जमा की थी। बुधवार, १७ दिसंबर २०२५ को बाळराजे पवार और अन्य चार लोगों को गेवराई न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस न्यायिक प्रक्रिया पर पूरे जिले की नजरें टिकी हैं।

कम छात्र संख्या वाली जिला ...

शासन के आदेशानुसार होगी कार्रवाई

शालेय शिक्षा विभाग ने १५ मार्च २०२४ को पद स्वीकृति संबंधी शासन निर्णय जारी किया है। उसके अनुसार जिला परिषद की १० तथा २० से कम छात्र संख्या वाली स्कूलों में संविदा शिक्षक लिए जाएंगे। २०२५-२६ शैक्षणिक सत्र की पद स्वीकृति दिसंबर अंत तक पूरी हो जाएगी। उसके बाद अतिरिक्त शिक्षकों का समायोजन तथा संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई शासन के आदेशानुसार की जाएगी।

संविदा शिक्षकों पर हर साल ८४ करोड़ का खर्च

आदिवासी तथा पेसा क्षेत्र की जिला परिषद स्कूलों में अभी तक नियमित शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। इसलिए उन क्षेत्रों की स्कूलों में वर्तमान में ३,५०० संविदा शिक्षक नियुक्त हैं। उनके लिए प्रति माह सात करोड़ अर्थात् सालाना ८४ करोड़ रुपये का मानदेय दिया जा रहा है - यह जानकारी शालेय शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने दी।

दोषियों पर कार्रवाई करें, वरना ...

हो गया। हम अपना बच्चा व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस मौके पर जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप दिल्ली में आंदोलन करेंगे? तो उन्होंने ठोककर कहा कि वक्त पड़ा तो दिल्ली भी नहीं छोड़ेंगे।

शौर्य पाटील आत्महत्या मामले में न्याय मिलना ही होगा। वरना महंगा पड़ेगा। हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कह रहे हैं। मराठाओं का बच्चा है इसलिए सरकार कार्रवाई नहीं कर रही क्या? महाराष्ट्र में चिट्ठी में नाम आने पर मुख्यमंत्री कार्रवाई करते हैं। तो यहां केंद्रीय गृह मंत्री क्यों हिचकिचा रहे? - ऐसा गुस्से भरा सवाल उन्होंने इस मामले में उठाया।

इस मौके पर बीड के सांसद बजरंग सोनावने भी दिल्ली मे जरांगे पाटिल के साथ मोजुद रहे।

नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा...

थी और गैर-लाभकारी आधार पर यह संस्था काम करती थी तथा अब भी कर रही है। स्वतंत्रता के बाद के काल में इस संस्था में काम करने वाले पत्रकारों तथा कर्मचारियों के वेतन देने का प्रश्न उठा तो कुछ लेन-देन हुए, लेकिन उनमें किसी भी सदस्य को लाभांश या कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर भाजपा ने झूठे मुकदमे दर्ज कराने के लिए जांच एजेंसियों को मजबूर किया। सोनिया और राहुल को घंटों पूछताछ के नाम पर परेशान किया गया। आज भाजपा का झूठ बेनकाब हो गया है - ऐसा भी सपकाळ ने कहा।

महानगरपालिका रणनीति के लिए बैठक

महानगरपालिका चुनाव की रणनीति के लिए पिछले दो दिनों से तिलक भवन में बैठक हुई। इस दौरान विधानमंडल कांग्रेस दल के नेता विजय वडेट्टीवार, नसीम खान, एड. गणेश पाटील, मोहन जोशी, अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष वजाहत मिर्जा, प्रदेश महासचिव गुरविंदरसिंह बच्चर सहित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य की २८ महानगरपालिकाओं के चुनाव की रणनीति पर इस बैठक में विस्तार से चर्चा की गई है। मुंबई महानगरपालिका के संबंध में अलग से चर्चा की जाएगी। कल से इच्छुक उम्मीदवारों की जिला स्तर पर साक्षात्कार होंगे और उसके बाद २५ तथा २६ दिसंबर को राज्य पार्लमेंटरी बोर्ड की बैठक में उम्मीदवार तय किए जाएंगे। महानगरपालिका चुनाव में भी गठबंधन करने का अधिकार स्थानीय नेतृत्व को दिया गया है। जो समविचारी दल गठबंधन के लिए प्रस्ताव देंगे, उन पर फैसला लिया जाएगा - ऐसा सपकाळ ने बताया।

मंत्री कोकाटे की बर्खास्तगी करें

महायुती सरकार में खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे को सदनिका घोटाले के मामले में २ साल की सजा जिला अदालत ने भी बरकरार रखी है, लेकिन सरकार कोकाटे को बचाने के लिए और मौके देगी। राहुल गांधी और सुनील केदार को सजा होते ही २४ घंटे में उनकी सांसदी तथा विधायकी रद्द कर दी गई थी, लेकिन माणिकराव कोकाटे को सरकार बचा रही है। सत्ताधारी दल के लोगों को एक न्याय और विपक्षी दल के लोगों को दूसरा न्याय लागू किया जा रहा है। सरकार को तुरंत माणिकराव कोकाटे की बर्खास्तगी करनी चाहिए - यह मांग सपकाळ ने की।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com